आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –335 / 2022
मंजू देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
27.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–26 / 2020 में दिनांक 02.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला चयन समति मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–09.03.2019 को लिए गए निर्णय के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 02.11.2022 में अंकित है कि:– ***"Should the petitioner file such a representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 30 days, he shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including respondent no.09, shall pass a final order within a further period of 90 days, giving reasons in support of the decision taken by him."*** उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता अनारक्षित महिला आरक्षण कोटि 1067 के लिए आवेदन दी थी एवं अनुज्ञप्ति हेतु सभी अर्हता पूरा करती है, जबकि विपक्षी सं0–07 (पिंकी कुमारी) अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण कोटि 1066 के लिए आवेदन की थी। फिर भी विपक्षी सं0–07 का चयन अनारक्षित कोटे के लिए किया गया है, जो गलत है। इनका दावा है कि वर्ष 2009 में उनकी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(विपक्षी सं0–07) शादी दूसरे जगह हो गई थी, फिर भी उनके द्वारा इस पंचायत में आवेदन दिया गया। साथ ही इनका यह भी दावा है कि इनके पति/पिता के कॉलम में भी पिता का ही नाम दिया हुआ है तथ्य छुपाने के लिए पति का नाम नहीं दिया गया है।

वहीं विपक्षी सं0–07 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता ने अपने आवेदन में अनारक्षित महिला (सामान्य कोटि 1067) कोटि के लिए आवेदन की थी एवं अनुज्ञप्ति की सभी अर्हता को पूरा करती है। जब औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ तो उसमें इनका (पिंकी कुमारी) नाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अंकित था। इसके बाद विपक्षी सं0–07 ने जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के समक्ष आपत्ति दी जिसमें उल्लेख किया गया कि इनके (विपक्षी सं0–07) द्वारा अनारक्षित महिला के लिए आवेदन दिया गया था। जिसके बाद जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–07 को अधिक योग्यता के आधार पर चयन किया गया है, जो नियमानुकूल है। विपक्षी सं0–07 की शादी के संबंध में विपक्षी सं0–07 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पिंकी कुमारी (विपक्षी सं0–07) ग्राम–देदौल मिरापुर के स्थायी निवासी है इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2021 दाखिल खारिज एवं शपथ पत्र इत्यादी पिंकी कुमारी के नाम से निर्गत है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि पिंकी कुमारी ग्राम–देदौल मीरापुर के स्थायी निवासी है। इनका चयन (विपक्षी सं0–07) **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9 (v)** के अनुरूप की गई है, जो सही है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक मुजफ्फरपुर के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति ने योग्यता के आधार पर **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9 (v)** के अनुसार अपना निर्णय लिया है, जो विधिसम्मत है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुरौल प्रखंड के मीरापुर पंचायात अंतर्गत आरक्षित कोटि 1066, 1067 एवं 1068 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी संख्या–07 के अलावे अन्य कई अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया। आवेदन देने के पश्चात औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ। औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन में विपक्षी सख्या 07 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि

WEB COPY NOT OFFICIAL

में रखा गया। इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक–949 दिनांक–03.07.2018 के द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आपत्ति दर्ज करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। उक्त आदेश के आलोक में विपक्षी संख्या–07 ने दिनांक 30.06.2018 को आपत्ति समर्पित की। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया गया जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी संख्या–07 को योग्यता के आधार पर चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि जब विज्ञापन का प्रकाशन हुआ उस समय मीरापुर पंचायत के लिए तीन कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए रिक्ति निकला। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि विपक्षी संख्या–07 ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आवेदन किया था जबकि उनका चयन अनारक्षित महिला के रिक्ति पर हुआ है, इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेखित है कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र में आरक्षण का कोई कॉलम उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनका यह कहना कि विपक्षी संख्या–07 ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आवेदन किया था एवं पुनरीक्षणकर्ता अनारक्षित महिला के लिए आवेदन की थी, मान्य नहीं हो सकता है। जब आवेदन प्राप्त होता है तो उस प्राप्त आवेदन के आधार पर मेधा सूची बनता है एवं उस मेधा सूची में (योग्यता के आधार पर) देखा जाता है कि मैट्रिक के अनुसार किस श्रेणी में रखना है।

जहाँ तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि विपक्षी संख्या–07 देदौल मीरापुर की निवासी नहीं है तो इस संबंध में विपक्षी संख्या–07 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है वह इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह कहॉ की निवासी है।

अब जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे का प्रश्न है कि आवेदन में विपक्षी संख्या–07 ने पति का नाम नहीं लिखकर पिता का नाम अंकित किया है, तो यह त्रुटि एक मानवीय

WEB COPY NOT OFFICIAL

	(लिपिकीय) त्रुटि है, जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताये जाने का दावा स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जिला स्तरीय चयन समिति ने **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9 (v) एवं 9 (ix)** के आधार पर अपना निर्णय लिया है, जिसमें स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि ***"अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरुपेण मेधा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित रहेगी।"*** विपक्षी संख्या–07 का चयन योग्यता के आधार पर हुआ है। अतएव जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL